

सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2026 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:

क्र०सं०	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
1	Virtual Private Network (VPN) ID के संबंध में।	State Data Center (SDC) में epanchayat.bihar.gov.in एवं prdnischaysoft.bihar.gov.in का डाटा सर्वर एवं अप्लीकेशन सर्वर से संबंधित सभी ID को निरस्त करते हुए केवल NIC, Patna का VPN ID Activate रखना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन- अनुश्रवण कोषांग एवं आईटी0 मैनेजर)
2	सहयोग पोर्टल।	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि L-3 Level पर 13 आवेदन एवं राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में विभाग अंतर्गत सूचीबद्ध 107 आवेदनों का निष्पादन किया जाना लंबित है। विभागीय नोडल पदाधिकारी द्वारा उक्त आवेदनों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिला द्वारा निष्पादित आवेदनों के गुणवत्ता की समीक्षा भी समय-समय पर कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन- श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं आईटी0 मैनेजर)
3	पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम।	ग्राम पंचायत के सतत विकास हेतु महीना के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम में मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी रोस्टर अनुसार कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहेंगे एवं जिला अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों का अनुश्रवण भी सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन- विभागीय अनुश्रवण कोषांग एवं प्रशाखा-11)
4	पंचायत विकास योजना (PDP)।	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु शत-प्रतिशत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का पंचायत विकास योजना (PDP) को अनुमोदन पश्चात् ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15 सितम्बर, 2026 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन- परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
5	पंचायतों का वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंकेक्षण।	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मात्र 78.2 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 61.7 प्रतिशत पंचायत समितियों एवं 13.2 प्रतिशत जिला परिषदों का वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंकेक्षित प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड किया गया है। विदित हो कि 16वीं वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान की विमुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष T-2 (पिछले से पिछले वर्ष) का अंकेक्षित प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष T-1 (पिछले वर्ष) का औपबंधिक लेखा सार्वजनिक रूप से ऑनलाईन किया जाना अनिवार्य है। उक्त के आलोक में निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंकेक्षित प्रतिवेदन ससमय ऑनलाईन अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन- प्रशाखा-7)
6	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी/अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा संविदा पर लिये जाने के संबंध में।	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी/अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गई पृच्छा से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन- प्रशाखा-7)

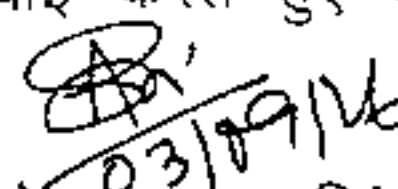
क्र०सं०	प्रशाखा/विषय	निर्णय/निदेश
7	ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराने के संबंध में।	एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर एवं Accessories के संबंध में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन- परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
8	जिलों का रैंकिंग किये जाने के संबंध में।	विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अंतर्गत सौंपे गये दायित्व के निर्वहन इत्यादि के आधार पर जिलों का रैंकिंग किये जाने के लिए मानदंड (Criteria) एवं Weightage संबंधी प्रस्ताव तैयार कर विचार-विमर्श हेतु तीन दिनों के अन्दर उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन- श्री आशुतोष कुमार, प्रोजेक्ट लीड एवं संबंधित प्रशाखा)
9	ई-पंचायत बिहार पोर्टल पर Module विकसित किये जाने के संबंध में।	राज्य योजना मद से क्रियान्वित योजनाओं का Transaction, लेखा ई-पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से संधारित किये जाने हेतु NIC, Patna से समन्वय स्थापित कर Schemewise Module विकसित किया जाए। (अनुपालन- अनुश्रवण कोषांग एवं संबंधित प्रशाखा)
10	पंचायत सरकार भवन में फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	पंचायत सरकार भवन में एजेंसी के माध्यम से फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में माननीय मंत्री के समक्ष उपस्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित करना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन- प्रशाखा- 2)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।


(मनोज कुमार)
सचिव

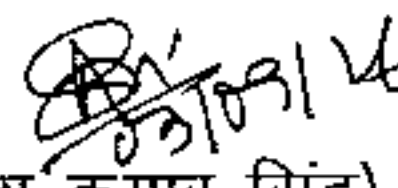
ज्ञापांक: 14प/कार्यवाही(2)-02-03/2026/12672/पं०रा० पटना, दिनांक 3/9/2026

प्रतिलिपि: निदेशक/परियोजना निदेशक/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी अनुश्रवण कोषांग/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।


(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक: 14प/कार्यवाही(2)-02-03/2026/12672/पं०रा० पटना, दिनांक 3/9/2026

प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक: 14प/कार्यवाही(2)-02-03/2026/12672/पं०रा० पटना, दिनांक 3/9/2026

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी